

संख्या 15011/36/2022-जेयूएस (एयू)/ई6889

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

विषय: न्याय विभाग से संबंधित मार्च, 2022 माह का मासिक सारा

न्याय विभाग से संबंधित मार्च, 2022 माह की महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

1. **फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी)** 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 399 विशिष्ट पोक्सो न्यायालयों सहित 712 फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत हैं और डैशबोर्ड से प्राप्त उपलब्ध इनपुट के अनुसार, फरवरी, 2022 तक फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा 81,400 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया।
2. **आपराधिक मामलों के परीक्षण के लिए विशेष न्यायालय के संचालन के लिए निधि जारी करना:** सांसदों/विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों की जांच करने के लिए विशेष न्यायालय को प्रचालित करने के लिए मार्च 2022 माह के दौरान केंद्रीय सहायता के रूप में महाराष्ट्र के लिए (0.38 करोड़), कर्नाटक के लिए (0.05 करोड़) और तमिलनाडु के लिए (0.65 करोड़) अर्थात कुल 1.08 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
3. **ईकोर्ट मिशन मोड परियोजना फेज-II:**
  - **बजट:** ईकोर्ट परियोजना फेज-II की कुल परिव्यय 1670 करोड़ रुपए है जिसमें से न्याय विभाग द्वारा दिनांक 28-03-2022 तक परियोजना के कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न संगठनों को 1668.42 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
  - **व्यापक क्षेत्र नेटवर्क/वाइड एरिया नेटवर्क:** बीएसएनएल ने 2992 कोर्ट परिसरों में से 2964 कोर्ट परिसरों में 10 एमबीपीएस से लेकर 100 एमबीपीएस बैंडविथ गति के नेटवर्क चालू किए हैं।
  - **राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड/एनजेडीजी:** इ कोर्ट सर्विस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वादीगण इस समय दिनांक 02-03-2022 तक के इन कंप्यूटरीकृत न्यायालयों से संबंधित 19.92 करोड़ से अधिक मामलों के संबंध में केस स्थिति सूचना और 16.81 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
  - **वर्चुअल कोर्ट:** 17 वर्चुअल न्यायालयों द्वारा 1.32 करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है और दिनांक 03-03-2022 तक 22 लाख से अधिक मामलों में लगभग 229 करोड़ रुपए (229.22) का ऑनलाइन जुर्माना वसूल किया गया है।
  - **जस्टिस ऐप:** जस्टिस मोबाइल ऐप डाउनलोड करने वालों की संख्या दिनांक 03-03-2022 तक 17013 हो गई है।
  - **ईकोर्ट सर्विस मोबाइल ऐप:** उपलब्ध है इनपुट के अनुसार, दिनांक 28-02-2022 तक ईकोर्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की संख्या 75.76 लाख हो गई है।
  - **दिनांक 28-02-2022 तक समेकित इनपुट के अनुसार उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग:**
    - कॉविड लॉकडाउन प्रारंभ होने के समय से, केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करके

जिला अदालतों में 1.23 करोड़ मामलों की सुनवाई हुई जबकि उच्च न्यायालयों में 0.61 करोड़ मामलों की सुनवाई हुई।

- 24 न्यायालयों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों को लागू किया है। इसके अतिरिक्त, 28 उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के भीतर 25 जिला अदालतों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का पालन किया है।
  - **ई सेवा केंद्र:** दिनांक 28-02-2022 तक अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार, 25 उच्च न्यायालयों के अंतर्गत जिला अदालतों में 493 ई सेवा केंद्र चालू किए हैं।
  - **ई फाइलिंग:** दिनांक 28-02-2022 तक 18 उच्च न्यायालयों ने ई फाइलिंग के मॉडल नियमों का पालन किया है। इसके अतिरिक्त, 28 उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, दिनांक 28-02-2022 को समेकित आंकड़ों के अनुसार 17 जिला न्यायालयों ने ईफाइलिंग के मॉडल नियमों का पालन किया है।
  - **ई भुगतान:** दिनांक 28-02-2022 तक अपलोड किए गए इनपुट के अनुसार 17 जिला न्यायालयों ने अपने संबंधित क्षेत्राधिकारों में ई भुगतान लागू किया है जबकि 23 उच्च न्यायालयों में कोर्ट फीस अधिनियम में संशोधन किया गया है।
  - **ई-फाइलिंग स्टेशनों का उद्घाटन और ई-फाइलिंग और ई-सेवाओं पर व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम:** उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने दिनांक 05-03-2022 को जिला न्यायालय परिसर, सुंदरगढ़, सिविल न्यायालय परिसर, राउरकेला और जिला न्यायालय परिसर, देवगढ़ में ई फाइलिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। मुख्य न्यायाधीश ने सिविल न्यायालय परिसर, राउरकेला और जिला न्यायालय परिसर, देवगढ़ में अधिवक्ताओं के लिए ई फाइलिंग और ई सेवा पर बिहार एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया।
  - **न्याय विभाग की नई वेबसाइट का उद्घाटन:** दिनांक 30-03- 2022 को माननीय विधि और न्याय मंत्री ने माननीय विधि और न्याय राज्यमंत्री की गरिमामई उपस्थिति में विभाग की "दिव्यांग अनुकूल" वेबसाइट का उद्घाटन किया। इस वेबसाइट को एस 3 डब्ल्यू ए एस प्लेटफॉर्म (सेवा के रूप में एक सुरक्षित, मापनीय और सुगम में वेबसाइट) पर लॉन्च किया गया है जो जी आई जी डब्लू (सरकारी वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश) शिकायत टेंप्लेट का प्रयोग करके सुरक्षित वेबसाइट बनाने की प्रौद्योगिकी को सशक्त करता है। यह वेबसाइट अधिक प्रयोग ता अनुकूल है और इसमें आसानी से सुधार किया जा सकता है, जिसके द्वारा, पारदर्शिता, पहुंच और जनता तक सूचना के निर्बाध प्रसार सुनिश्चित किया जा सकता है। यह वेबसाइट नागरिकों को विभाग की समस्त डिजिटल पहलों के लिए वन स्टॉप प्लेटफार्म उपलब्ध प्रदान करती है। ईकोर्ट मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत की गई नागरिक केंद्रित निम्नलिखित पहलों को अर्थात् नागरिक सेवाएं- ईकोर्ट सेवाएं; राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड; निर्णय और आदेश सर्च पोर्टल के माध्यम से सभी उच्च न्यायालय ओके निर्णयों और आदेशों की खोज; सीएनआर संख्या का प्रयोग करके मामलों की स्थिति की खोज; गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय की न्यायालयी कार्यवाहियों की लाइव स्ट्रीमिंग; यातायात नियमों के उल्लंघन के भुगतान की पहलों को सुगम्य बनाया गया है।
4. **समग्र न्याय की पहुंच के लिए अभिनव समाधान (दिशा):** इंवेस्ट इंडिया और अगामी के सहयोग से न्याय विभाग द्वारा 29 मार्च, 2020 को दिशा योजना के तहत "अनलॉकिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू क्लोज द जस्टिस गैप इन इंडिया" शीर्षक पर एक विचार-मंथन कार्यशाला का आयोजन किया गया था, ताकि न्याय तक पहुंच के भविष्य के रोडमैप पर विचार-विमर्श किया जा सके। यह कवायद इंडिया @2047 के लिए ब्लूप्रिंट दस्तावेज तैयार करने में मदद करने के लिए की गई थी। इस कार्यशाला में विधि फर्मों सहित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के 35 प्रतिनिधियों ने भाग

लिया। इस कार्यशाला को चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभाजित किया गया था जिनमें न्याय तक पहुंच पर विजन, न्याय तक पहुंचने के लिए प्रत्येक नागरिक के लिए ब्लू प्रिंट तैयार करना, न्याय तक पहुंचने के मार्ग और न्याय के लिए महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक शामिल थे।

5. **टेली लॉ: वंचितों तक पहुंच:** माह के दौरान 1,79,967 व्यक्तियों को कानूनी सलाह दी गई और यह आंकड़ा कभी भी किसी माह में दी गई है सलाह से सर्वाधिक है। 31 मार्च, 2022 तक कुल 16,69,964 मामलों में सलाह दी गई।

6. **कानूनी/विधिक साक्षरता कार्यक्रम:**

विधिक जागरूकता वेबीनार श्रृंखला के भाग के रूप में, न्याय विभाग ने 8 मार्च, 2022 को भारत में महिलाओं को न्याय पर एक वेबीनार आयोजित की। इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय-नई दिल्ली, राजस्थान पुलिस, एनजीओ मजलिस, मुंबई और सखी वन स्टॉप सेंटर, गाजियाबाद के प्रमुख वक्ताओं ने भाग लिया। इस वेबीनार के माध्यम से 35,332 प्रतिभागियों तक पहुंचा गया।